बजट पर टिका है स्लम फ्री इंडिया का सपना

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी मकानों पर बढ़े खर्च

विभावसु तिवारी ॥ नई दिल्ली

इस समय देश में ढाई करोड़ से भी अधिक मकानों की कमी है। मांग की तुलना में मकानों का निर्माण बहुत ही कम है। यही वजह है कि आगामी वित्तीय बजट में मकानों के निर्माण को गति देने पर सरकार का ज्यादा ध्यान रहेगा। केंद्रीय शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के मकानों के निर्माण के लिए उपयुक्त बजटीय प्रावधान किए जाएं।

सरकार आगामी वित्त वर्ष में अपनी महत्वाकांक्षी राजीव आवास योजना को सही मायने में अमली जामा पहनाने के लिए गंभीर नजर आ रही है। पिछले छह महीने से घोषित इस योजना पर विचार तो हो रहा है पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया जा सका है। सरकार इस योजना के जरिए देश के शहरों को स्लम मुक्त करना चाहती है। जहां भी स्लम हैं उन्हें प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से दोबारा डिवेलप कर वहां रह रहे लोगों को मकान उपलब्ध कराना मूल लक्ष्य है। इस योजना पर कितना खर्च आएगा उसकी आकलन प्रक्रिया जारी है। आशा की जा रही है कि इस योजना के लिए अलग से बजटीय प्रावधान होगा। शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी सैलजा ने एनबीटी को बताया कि राजीव आवास योजना (आएवाई) को मूर्त रूप देने के लिए ड्राफ्ट गाइड लाइंस तैयार कर राज्य सरकारों को विचारार्थ भेज दी गई हैं। शहर नियोजन से जुड़ी एजेंसियों से भी विचार हो रहा है। स्लम निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए मॉडल लीगल फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट तैयार है।

इंडस्ट्री की डिमांड : फिक्की का कहना है कि विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) की शर्तों को आवास क्षेत्र के लिए आसान बनाया जाए ताकि पैसे का निवेश ज्यादा हो सके। रीयल एस्टेट की कंपनी ओमेक्स की मांग है कि मकानों के बड़े स्तर पर निर्माण के लिए बैंकिंग सुविधाओं को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए।

एक्सपर्ट कमेंट

मेरा मानना है कि मकानों की खरीद बढ़ाने के लिए सरकार को स्टैम्प ड्यूटी और व्यावहारिक ढंग से कम करनी होगी। सरकार ने समय सीमा के अंदर पूरे होने वाले आवास प्रोजेक्टों को इनकम टैक्स में जो विशेष छूट देने की घोषणा की है, उसे अभी जारी रखना चाहिए। जो सुविधाएं इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलती हैं, वे सुविधाएं और छूट रीयल एस्टेट को भी मिल सकें।

– नवीन एम. रहेजा (आवास क्षेत्र के एक्सपर्ट)